

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

<u>S. NO.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>PAGE NO.</u>
1.	Reply Affidavit of District Magistrate –Banda in compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<u>Annexure No. R 1:-</u> A copy of the Notice dated 23.11.2024	
3.	<u>Annexure No. R 2: -</u> A copy of the Letter dated 19.10.2024	
4.	<u>Annexure No. R 3: -</u> A copy of the Notice issued vide Letter dated 26.11.2024	
5.	<u>Annexure No. R 4: -</u> A copy of the Letter dated 07.02.2025	
6.	<u>Annexure No. R 5: -</u> A copy of the Letter dated 18.03.2025	
7.	<u>Annexure No. R 6(Colly) -</u> A copy of the Letter dated 06.05.2025 and copy of interim order dated 03.05.2025.	

8.	<u>Annexure No. R 7: -</u> A copy of the Notice issued vide letter dated 16.10.2024	
9.	<u>Annexure No. R 8: -</u> A copy of the letter dated 26.11.2024	
10.	<u>Annexure No. R 9: -</u> A copy of the letter dated 04.01.2025	
11.	<u>Annexure No. R 10: -</u> A copy of the letter dated 17.02.2025	
12.	<u>Annexure No. R 11: -</u> A copy of the Letter dated 08.04.2025	
13.	<u>Annexure No. R 12: -</u> A copy of the Letter dated 02.07.2025	
14.	<u>Annexure No. R 13: -</u> A copy of the letter dated 23.11.2024	
15.	<u>Annexure No. R 14: -</u> A copy of the letter dated 16.01.2025	
16.	<u>Annexure No. R 15: -</u> A copy of the letter dated 21.03.2025	
17.	<u>Annexure No. R 16: -</u> A copy of the letter dated 19.10.2024	
18.	<u>Annexure R 17: -</u> A copy of the letter dated 26.11.2024	
19.	<u>Annexure No. R 18: -</u> A copy of the letter dated 04.01.2025	
20.	<u>Annexure No. R 19: -</u> A copy of the Letter dated 22.05.2025	
21.	<u>Annexure No. R 20:-</u> A copy of the letter dated 02.07.2025	
22.	<u>Annexure No. R 21: -</u> A copy of the letter dated 23.11.2024	
23.	<u>Annexure No. R 22: -</u> A copy of the letter dated 30.12.2024	

24.	<u>Annexure No. R 23: -</u> A copy of the letter dated 21.03.2025	
25.	<u>Annexure No. R 24: -</u> A copy of the Letter dated 02.04.2025	

DATED: 06.08.2025

Ankit Verma

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF U.P.

A-15, FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI – 110013

MOB: - 9990804440

Email: - ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENTS

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE BANDA IN
COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.05.2025 PASSED BY THIS
HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 8 herein states as under: -

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

I, Reebha John Benjamin aged about 33 years, D/o John Benjamin, presently posted as District Magistrate – District Banda, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That I am the above-mentioned answering Respondent No. 8 and is duly competent to file the present reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.



J. Reebha

4. That the Deponent is posted as District Magistrate- Banda, since 18.01.2025 and is swearing this affidavit in his official capacity.

5. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 27.05.2025 was pleased to issue the following directions: -

"..... 5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board(CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board(UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months....."

6. That the present reply is being filed in respectful compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

7. That in compliance with the order dated 27.05.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, the deponent herein, vide his Office Letter No. 1521/Mining-30, Banda dated 27.06.2025, nominated the District Mining Officer, Banda as a member of the Committee constituted pursuant to the said order. The said Committee conducted site inspection on 01.07.2025 and submitted a joint inspection report. A copy of the Joint Inspection Report has been filed by the Regional Officer Uttar Pradesh Pollution Control Board on 15.07.2025.

J. Nuline



8. That in compliance with the order passed by this Hon'ble Tribunal, the Joint Committee examined various mining areas situated in District Banda which are at locations:

- a. Village Ghancha, Tehsil Banda
- b. Village Pathri, Tehsil Banda (Mining Block No. 03)
- c. Village Marouli Khadar, Tehsil Banda (Mining Block No. 05)
- d. Village Madouli Khurd Khadar, Tehsil Pailani
- e. Village Marouli Khadar, Tehsil Banda (Block No. 01)
- f. Village Khaptiha Kala, Tehsil Pailani

a. Mining Lease- Village Ghancha: -

9. That a mining permit for extraction of sand/morrum over an area of 24.71 acres (Gata No. 1971/1), situated in Village Ghancha, Tehsil Banda, District Banda, was granted in favour of M/s Om Traders through its Proprietor Mr. Rajendra Prasad, resident of Village Methitikur, Tehsil Safipur, District Unnao. The said lease was valid from 28.10.2024 to 27.04.2025 and has since expired.

10. That a joint inspection was conducted by officials of the Revenue, Police, and Mining Departments on 23.11.2024, wherein excess extraction/transportation of 3503 cubic meters of sand/morrum was detected. This act was found to be in contravention of Rules 3, 58, and 72 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021 and Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

Consequently, a notice was issued to the leaseholder vide Letter No. 3946/Mining-30, Banda dated 23.11.2024, quantifying a revenue loss of ₹31, 52,700/-. The said amount was deposited by the leaseholder vide Challan Nos. AKV240025816 and AKV240025815, both dated 24.11.2024. A copy

J. Nulwa



of the Notice dated 23.11.2024 is being annexed as Annexure No. R 1 to this affidavit.

b. Mining Lease Area- Village Pathri, Block No. 03: -

11. That a mining lease for an area measuring 19.00 hectares comprising part of Gata Nos. 72/47 and 74/1 in Village Pathri, Tehsil Banda, District Banda, was granted in favour of M/s Mayur Bauxite India Pvt. Ltd., having its registered address at 8th Floor, DN-24, Matrix Tower, Sector-5, Salt Lake, Kolkata (WB), and head office at Kududand, Bilaspur (Chhattisgarh), represented through its Director Mr. Ravish Gumber. The lease is valid from 05.10.2024 to 04.10.2029.

12. That a joint inspection conducted by officials of District Administration on 18.10.2024 revealed excess mining of 3373 cubic meters. Accordingly, notice was issued vide Letter No. 3430/Mining-30, Banda dated 19.10.2024, with quantified revenue loss of ₹30,35,700/-, which was duly deposited vide Challan No. AKV240022184 dated 19.10.2024. A copy of the Notice dated 19.10.2024 is being annexed as Annexure No. R 2 to this affidavit.

13. That another joint inspection was carried out on 23.11.2024, wherein it was revealed 2166.50 cubic meters of excess mining was done. A notice was issued vide Letter No. 3985/Mining-30, Banda dated 26.11.2024, assessing a revenue loss of ₹19,49,850/-, which was deposited via Challan No. AKV240026036 dated 26.11.2024. A copy of the Notice issued vides Notice dated 26.11.2024 is being annexed as Annexure No. R 3 to this affidavit.

14. That yet another inspection on 05.02.2025 revealed illegal mining of 6854.50 cubic meters outside the lease area. Notice was issued via Letter No. 4755/Mining-30, Banda dated 07.02.2025, for a revenue loss of ₹61,69,050/-. After the leaseholder submitted an unsatisfactory reply dated 19.03.2025, the same was rejected vide Letter No. 170/Mining-30, Banda

J. Ankur



dated 07.04.2025. The total amount was thereafter deposited in three parts via Challans dated 24.04.2025 and 08.05.2025 totalling ₹61,69,050/-. A copy of the Notice dated 07.02.2025 is being annexed as Annexure No. R 4 to this affidavit.

15. That a further inspection on 10.03.2025 revealed illegal mining of 36518.75 cubic meters outside the lease area. A notice was issued via Letter No. 5202/Mining-30, Banda dated 18.03.2025, assessing revenue loss of ₹3,28,66,875/-. The leaseholder's reply dated 20.03.2025 was rejected on 17.04.2025 vide Letter No. 299/Mining-30, Banda. The leaseholder filed Appeal No. 742/2025 before the Hon'ble Commissioner, Chitrakoot Dham Division, Banda. Vide interim order dated 03.05.2025, the Hon'ble Court stayed the operation of the impugned orders until the next hearing. A copy of the Notice dated 18.03.2025 and copy of interim order dated 03.05.2025 is being annexed as Annexure No. R 5(Collv) to this affidavit.


16. That pursuant to the said direction, the relevant record and point-wise reply were submitted to the appellate authority vide Letter No. 1011/Mining-30, Banda dated 24.05.2025. Out of the total assessed liability of ₹3,28,66,875/-, an amount of ₹50,00,000/- has been deposited by the leaseholder.

17. That inspection conducted on 03.05.2025 revealed illegal mining of 43696 cubic meters outside the lease area. A notice was issued vide Letter No. 667/Mining-30, Banda dated 06.05.2025 quantifying a revenue loss of ₹3,93,26,400/-. A copy of the Notice dated 06.05.2025 is being annexed as Annexure No. R 6 to this affidavit.

c. Mining Lease Area- Village Marouli Khadar, Block No. 05


18. That a mining lease over an area of 23.00 hectares in part of Gata No. 333/7 (Block No. 05) of Village Marouli Khadar, Tehsil Banda was granted in

J. Nishu



favour of M/s Descon Buildtech Pvt. Ltd., represented through its Director Mr. Sanjeev Kumar Gupta, R/o 128/189, K-Block, Kidwai Nagar, Kanpur. The lease is valid from 03.05.2023 to 02.05.2028.

19. That a Joint inspection on 16.10.2024 revealed excess mining of 1703 cubic meters within the lease area and 4207 cubic meters outside. A notice was issued vide Letter No. 3378/Mining-30, Banda dated 16.10.2024, assessing revenue loss of ₹54,19,000/-, which was deposited via two challans dated 16.10.2024 and 22.10.2024. A copy of the Notice issued vide Notice dated 16.10.2024 is being annexed as **Annexure No. R 7** to this affidavit.
20. That an inspection dated 14.11.2024 revealed excess mining of 2991.75 cubic meters. A notice was issued vide Letter No. 3986/Mining-30, Banda dated 26.11.2024 assessing a revenue loss of ₹26,92,575/-, which was deposited via Challan No. AKV240026050 dated 26.11.2024. A copy of the Notice dated 26.11.2024 is being annexed as **Annexure No. R 8** to this affidavit.
21. That another inspection on 26.12.2024 revealed excess mining of 4371.20 cubic meters. A notice was issued vide Letter No. 4470/Mining-30, Banda dated 04.01.2025, for a revenue loss of ₹39,34,080/-. A copy of the Notice dated 04.01.2025 is being annexed as **Annexure No. R 9** to this affidavit.
22. That on 11.02.2025, inspection revealed 1150 cubic meters of illegal mining outside the lease area. A notice was issued vide Letter No. 4852/Mining-30, Banda dated 17.02.2025, quantifying a loss of ₹10, 35,000/-, which was deposited vide Challan No. AKV250015095 dated 22.05.2025. A copy of the Notice dated 17.02.2025 is being annexed as **Annexure No. R 10** to this affidavit.



J. Nulke

23. That joint inspection of the concerned mining lease was conducted by the Revenue Department, Police Department, and Mining Department on 03.04.2025, during which illegal extraction and transportation of 24,203.75 cubic meters of sand/morrum was found within the lease area. In view of the violations of Rules 3, 58, and 72 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021 and Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, a notice was issued to the leaseholder vide Office Letter No. 183/Mining-30, Banda dated 08.04.2025, intimating a revenue loss of ₹2,17,83,375/-. The leaseholder submitted a reply dated 05.05.2025; however, the same was found unsatisfactory and was accordingly rejected vide Office Letter No. 1310/Mining-30, Banda dated 13.06.2025. A copy of the Notice dated 08.04.2025 is being annexed as **Annexure No. R 11** to this affidavit.

24. That subsequently, a joint inspection was carried out by team of Revenue and Mining Department of the District on 27.06.2025, which revealed illegal extraction and transportation of 7,217 cubic meters of sand/morrum outside the demarcated lease area. In light of the violation of the aforementioned statutory provisions, notice was issued vide Office Letter No. 1588/Mining-30, Banda dated 02.07.2025 (Annexure-13), quantifying the total revenue loss at ₹65,45,300/-. A copy of the Notice dated 02.07.2025 is being annexed as **Annexure No. R 12** to this affidavit.

d. Mining Lease Area – Village Madouli Khurd Khadar

25. That a mining lease over an area of 7.053 hectares, comprising Gata Nos. 58, 107, 108, 109, 110, 111, and 114, situated in Village Madouli Khurd Khadar, Tehsil Pailani, District Banda, was granted in favour of M/s Pragya Vision Business (OPC) Pvt. Ltd., through its Director Mr. Yaduvanshi Vikas Singh, resident of House No. 72, Sai Nagar Phase-2, Singhpur, P.S. Sarnath, Tehsil Sadar, District Varanasi. The lease is valid from 05.10.2024 to 04.10.2029.

J. Nishu

26. That a joint inspection by officials of the Revenue, Police, and Mining Departments was conducted on 22.11.2024, which revealed excess mining of 1651.50 cubic meters within the lease area and 1363.50 cubic meters of illegal mining/transportation outside the lease boundary. Consequently, a notice was issued to the leaseholder vide Office Letter No. 3948/Mining-30, Banda dated 23.11.2024, intimating a revenue loss of ₹27, 13,500/-, which was deposited by the leaseholder via Challan No. AKV240025886 dated 25.11.2024. A copy of the Notice dated 23.11.2024 is being annexed as **Annexure No. R 13** to this affidavit.

27. That another joint inspection was conducted on 08.01.2025, which revealed illegal mining/transportation of 5624.50 cubic meters of sand/morrum outside the lease area. A notice was issued to the leaseholder vide Office Letter No. 4569/Mining-30, Banda dated 16.01.2025 (Annexure-15), estimating a revenue loss of ₹50, 62,050/-. The leaseholder submitted a reply dated 23.01.2025, which was found unsatisfactory and was accordingly rejected vide Office Letter No. 1323/Mining-30, Banda dated 13.06.2025. A copy of the Notice dated 16.01.2025 is being annexed as **Annexure No. R 14** to this affidavit.

28. That further, a joint inspection on 19.03.2025 by the Revenue and Mining Departments revealed illegal extraction/transportation of 17,298.50 cubic meters of sand/morrum outside the approved lease area. Accordingly, notice was issued vide Office Letter No. 5238/Mining-30, Banda dated 21.03.2025, quantifying a total revenue loss of ₹1, 55,68,650/-. A copy of the Notice dated 21.03.2025 is being annexed as **Annexure No. R 15** to this affidavit.

e. Mining Lease Area – Village Maroulikhadar, Block No. 01

29. That a mining lease for extraction of sand/morrum over a total area measuring 17.2802 hectares, forming part of Gata No. 333/7, Block No. 01, situated in Village Maroulikhadar, Tehsil Banda, District Banda, was duly



J. N. N.

sanctioned and executed in favour of Mr. Prashant Kumar Gupta, son of Mr. Ram Kishan Gupta, resident of 14, near Petrol Pump, Gandhi Nagar, Mahoba, Tehsil and District Mahoba, for the period from 05.10.2024 to 04.10.2029.

30. That a joint inspection of the said mining lease was conducted on 18.10.2024 by a team comprising officials from the Revenue Department, Police Department, and the Mining Department. During the said inspection, excess excavation/transportation of 1403 cubic meters of sand/morrum was found within the lease area. Consequently, for violation of Rules 3, 58, and 72 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 2021 and Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, a notice was issued to the lessee vide Office Letter No. 3431/Minerals-30 Banda dated 19.10.2024, informing him of revenue loss to the tune of ₹12,62,700/-. The said amount was subsequently deposited by the lessee through Challan No. AKV240022185 dated 19.10.2024. A copy of the Notice dated 19.10.2024 is being annexed as **Annexure No. R 16** to this affidavit.

31. That another joint inspection was conducted on 24.11.2024, revealing excess excavation/transportation of 2332 cubic meters of sand/morrum within the lease area. A notice was issued vide Office Letter No. 3984/Minerals-30 Banda dated 26.11.2024, and the lessee was informed of a revenue loss amounting to ₹20,98,800/-, which was deposited by the lessee through Challan No. AKV240026063 dated 26.11.2024. A copy of the Notice dated 26.11.2024 is being annexed as **Annexure No. R 17** to this affidavit.

32. That a subsequent joint inspection on 26.12.2024 disclosed illegal excavation/transportation of 1471 cubic meters within the lease area and 2003 cubic meters outside the lease area. Accordingly, a notice under the aforementioned provisions was issued vide Office Letter No. 4454/Minerals-

J. Nishu



30 Banda dated 04.01.2025, intimating a revenue loss of ₹31,26,600/-. The lessee deposited the said amount via two challans: Challan No. AKV250000702 dated 08.01.2025 (₹15,00,000) and Challan No. AKV250001039 dated 11.01.2025 (₹16,26,600). A copy of the Notice dated 04.01.2025 is being annexed as Annexure No. R 18 to this affidavit.

33. That on 19.05.2025, a joint inspection by the Revenue and Mining Departments revealed illegal excavation/transportation of 1219.50 cubic meters of sand/morrum outside the lease area. A notice was issued vide Office Letter No. 964/Minerals-30 Banda dated 22.05.2025, citing a revenue loss of ₹10,97,500/-, which was deposited by the lessee via Challan No. AKV250015906 dated 30.05.2025. A copy of the Notice dated 22.05.2025 is being annexed as Annexure No. R 19 to this affidavit.

34. That on 27.06.2025, another inspection by the said departments detected illegal mining/transportation of 1804.50 cubic meters outside the lease area. A notice was accordingly issued vide Office Letter No. 1589/Minerals-30 Banda dated 02.07.2025, communicating a revenue loss of ₹17,49,050/-. A copy of the Notice dated 02.07.2025 is being annexed as Annexure No. R 20 to this affidavit.

f. Mining Lease Area – Village KhaptihaKalaan

35. That a mining permit for extraction of sand/morrum over 42.00 acres comprising Gata Nos. 62 and 63/1 in Village Khaptiha Kalaan, Tehsil Pailani, District Banda, was granted in favour of Suddhatam Enterprises through its proprietor Mr. Manoj Kumar Mishra, son of Mr. Satish Chandra Mishra, resident of B-145, Sector 51, Noida, Gautam Buddh Nagar, for the period from 12.11.2024 to 11.05.2025. The permit expired on 11.05.2025.

36. That a joint inspection conducted on 21.11.2024 by the Revenue, Police, and Mining Departments revealed excess excavation/transportation of 1101.50




J. Nishu

cubic meters of sand/morrum within the lease area. A notice was issued under the relevant provisions vide Office Letter No. 3947/Minerals-30 Banda dated 23.11.2024, indicating a revenue loss of ₹9,91,350/-, which was deposited via Challans No. AKV240025804 dated 24.11.2024 and AKV240025897 dated 25.11.2024. A copy of the Notice dated 23.11.2024 is being annexed as **Annexure No. R 21** to this affidavit.

37. That a subsequent joint inspection on 26.12.2024 revealed excess excavation of 3619.50 cubic meters within the lease area and 731 cubic meters outside it. The lessee was served with a notice via Office Letter No. 4382/Minerals-30 Banda dated 30.12.2024, regarding revenue loss amounting to ₹39,65,450/-, which was deposited through Challans No. AKV240029987, AKV240029984, and AKV240029990, all dated 31.12.2024. A copy of the Notice dated 30.12.2024 is being annexed as **Annexure No. R 22** to this affidavit.

38. That another joint inspection dated 20.03.2025 revealed illegal excavation/transportation of 2078 cubic meters of sand/morrum outside the lease area. A notice was issued vide Office Letter No. 5240/Minerals-30 Banda dated 21.03.2025, informing of revenue loss of ₹18,70,200/-, out of which ₹10,00,000/- was deposited via Challan No. AKV250018378 dated 30.06.2025. A copy of the Notice dated 21.03.2025 is being annexed as **Annexure No. R 23** to this affidavit.

39. That a final inspection on 29.03.2025 recorded illegal excavation/transportation of 2875.50 cubic meters of sand/morrum outside the lease area. A notice was issued vide Office Letter No. 28/Minerals-30 Banda dated 02.04.2025, informing of a revenue loss of ₹25,87,950/-. A copy of the Notice dated 02.04.2025 is being annexed as **Annexure No. R 24** to this affidavit.



J. Nuluru


40. That it is further brought to notice that the Environmental Clearance Certificate issued for the mining areas stipulates that "The mining work shall be open-cast and manual/semi-mechanized (subject to orders). Use of heavy machinery such as excavators, scoopers etc. is prohibited. No drilling/blasting shall be carried out at any stage." Rule 41(g) of the U.P. Minor Mineral (Concession) Rules, 2021, also provides: *"41(g) The lessee may conduct mining with the aid of machinery excluding the river flow as specified in the Environmental Clearance Certificate. Machinery may be used for loading/unloading. With prior approval of the District Magistrate, the lessee may construct workshops, godowns, kilns, brickfields, or similar structures."*

41. That accordingly, open-cast and semi-mechanized mining operations are undertaken using manually operated machines for excavation, loading, and unloading.

42. That the State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA), Lucknow, has mandated that all mining activities must be conducted only during daytime. It is submitted that excavation is carried out during the day and the extracted material is stockpiled near the lease area for loading into vehicles, which, due to traffic restrictions on heavy vehicles during the day in towns and cities, are dispatched during night hours. The transportation passes (e-MM-11) generated during daytime often expire by the time transport is permitted, resulting in penalties for overloading or illegal transport by enforcement squads. Hence, although mining is not done at night, the transportation of minerals occurs predominantly during night hours using valid transport passes generated accordingly.

43. That the Environmental Clearance Certificate prohibits excavation within the river flow, and Rule 42(j)(1) of the 2021 Rules provides:

J. Reddy



"42(j)(1) The lessee shall not conduct mining activities beyond a depth of three meters or below the water table, whichever is lesser, in the riverbed. No mining shall be undertaken in areas designated by the District Magistrate as safety zones. Use of suction machines, lifters, etc., in the river flow is strictly prohibited."

44. That Mining within the river flow is strictly prohibited. The District Task Force continuously monitors all operational lease areas to ensure no excavation occurs within the river stream or through the use of prohibited machinery. Any violation attracts a penalty of ₹5,00,000 under Rule 60(4) of the 2021 Rules.

45. That furthermore, it is submitted that the District Task Force and Administrative Officials maintain strict vigil over illegal mining and transportation. All approved mining areas are routinely inspected. Upon detection of any irregularity, appropriate legal action is initiated under the U.P. Minor Mineral (Concession) Rules, 2021, and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. Surveillance measures include the installation of weighbridges and CCTV systems integrated with the Central Command Centre, Directorate of Geology and Mining, U.P. Lucknow. Additionally, PTZ cameras, geo-fencing, and boundary pillars have been installed.

46. That to combat illegal mining and transportation, three unmanned AI-based check gates equipped with advanced cameras and RFID scanners have been established at Naraini Road-Girwa Chauraha, Naraini-Kartal Road, and Banda-Mataundh Road (near the intersection), all of which are integrated with the Central Command Centre. These systems enable automatic identification and issuance of notices to vehicles engaged in illegal transport.



J. N. Nishu

47. That during the financial years 2024-25 and 2025-26, action was taken against 2,266 vehicles for illegal mining/transportation/overloading, and an amount of ₹11,25,11,499/- was deposited in the State Treasury. Additionally, revenue of ₹8, 67, 69,990/- was recovered from 54 cases of excess/illegal mining detected during inspections, and ₹7,64,700/- was recovered from 3 cases of illegal storage.
48. That the deponent most humbly submits before this Hon'ble Tribunal that the District Administration- Banda is very conscious and vigilant about illegal sand mining/transportation in the alleged areas. Earnest efforts are being undertaken to prohibit illegal mining/transportation activities within District.
49. That further the deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that he is duty bound to ensure the compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in letter and spirit.
50. That in light of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal, that the instant reply affidavit filed by the District Magistrate- Banda be taken on record, in the interest of justice.

J. Reebha
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at on That the contents of the Paras 1 to of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

J. Reebha
DEPONENT



7172 S.No Page No. = 503
SWORN BEFORE ME
2-8-2025
ABHAY TRIPATHI
NOTARY BANDA

J. Reebha D. M. Banda
DEPONENT
2-8-2025
Advocate Banda (U.P.)

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3946/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

नोटिस

मे० ओम ट्रेडर्स
प्र० श्री राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र श्री रामआसरे तिवारी
निवासी ग्राम-मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर,
जिला उन्नाव।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं०-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, अति० उपजिलाधिकारी बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बाँदा द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 23.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक मे० ओम ट्रेडर्स प्र० श्री राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पांचों पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°25'18.59"N	80°17'34.67"E	2140	2.80	5992.00
	B	25°25'17.81"N	80°17'35.48"E			
	C	25°25'19.82"N	80°17'35.79"E			
	D	25°25'19.99"N	80°17'37.35"E			
02	A	25°25'17.71"N	80°17'31.80"E	512	2.30	1177.60
	B	25°25'18.19"N	80°17'31.18"E			
	C	25°25'17.72"N	80°17'30.65"E			
	D	25°25'17.13"N	80°17'31.02"E			
03	A	25°25'13.50"N	80°17'27.78"E	3546	1.30	4609.80
	B	25°25'11.80"N	80°17'27.32"E			
	C	25°25'10.76"N	80°17'29.28"E			
	D	25°25'12.33"N	80°17'30.04"E			
04	A	25°25'9.88"N	80°17'28.74"E	5191	1.00	5191.00
	B	25°25'10.53"N	80°17'27.11"E			
	C	25°25'9.94"N	80°17'26.37"E			
	D	25°25'7.19"N	80°17'25.67"E			
	E	25°25'7.36"N	80°17'27.27"E			
05	A	25°25'6.87"N	80°17'26.56"E	2061	0.80	1648.80
	B	25°25'6.30"N	80°17'24.98"E			
	C	25°25'5.19"N	80°17'24.53"E			
	D	25°25'4.83"N	80°17'24.88"E			
	E	25°25'5.57"N	80°17'26.41"E			
कुल योग :-						18619.20

अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन अनुज्ञा-पत्र प्रारम्भ से दिनांक 23.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 15116 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एम०-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (18619 - 15116) = 3503 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"



J. N. N. N.

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र क्षेत्र में कुल 3503 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 5,25,450/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 26,27,250/- कुल रू० 31,52,700/- (रूपये इकत्तीस लाख बावन हजार सात सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


मिलाधिकारी,
बाँदा।



J. Nishu

कार्यालय जिलाधिकारी, बौदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 2430 / खनिज-30, बौदा

दिनांक अक्टूबर 17, 2024

नोटिस

मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 पलोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर 5,
साव्त् लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टकी रोड,
कुदुदड बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मजीत रिह गम्बर
निवासी-वार्ड न0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजित साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बौदा की तहसील बौदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बौदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बौदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 18.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 03 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त तीनों पिट्टे का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'40.84"N	80°16'58.30"E	709	1.75	1240.75
	B	25°37'41.01"N	80°16'58.87"E			
	C	25°37'41.38"N	80°16'59.09"E			
	D	25°37'42.03"N	80°16'58.99"E			
	E	25°37'41.78"N	80°16'58.37"E			
	F	25°37'41.37"N	80°16'57.99"E			
02	A	25°37'39.52"N	80°16'58.34"E	445	1.50	667.5
	B	25°37'39.87"N	80°16'58.62"E			
	C	25°37'40.31"N	80°16'58.49"E			
	D	25°37'40.36"N	80°16'57.93"E			
	E	25°37'39.97"N	80°16'57.80"E			
	F	25°37'39.58"N	80°16'57.92"E			
03	A	25°37'39.04"N	80°17'0.23"E	1383	3.00	4149
	B	25°37'38.33"N	80°17'0.46"E			
	C	25°37'38.26"N	80°17'1.05"E			
	D	25°37'38.40"N	80°17'1.72"E			
	E	25°37'39.22"N	80°17'1.75"E			
	F	25°37'39.62"N	80°17'1.36"E			
	G	25°37'39.66"N	80°17'0.94"E			
कुल योग :-						6057.25

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 18.10.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 2685 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (6058 - 2685) = 3373 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।



J. Nulwa

(2)

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।”

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 5,05,950/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 25,29,750/- कुल ₹० 30,35,700/- (रुपये तीस लाख पैतीस हजार सात सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बौदा।



J. Nulve

447

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

Annexure No- R-3

235

पत्रांक : 3985 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 पलोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउंड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप क्षेत्रीय लेखपाल पथरी, खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी।


प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 23.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त तीनों पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'43.72"N	80°17'2.46"E	685	1.50	1027.50
	B	25°37'42.85"N	80°17'2.59"E			
	C	25°37'42.21"N	80°17'3.40"E			
	D	25°37'42.97"N	80°17'3.57"E			
02	A	25°37'39.94"N	80°17'0.05"E	2350	1.00	2350.00
	B	25°37'41.28"N	80°17'2.20"E			
	C	25°37'42.30"N	80°17'1.61"E			
	D	25°37'41.03"N	80°16'59.73"E			
03	A	25°37'39.17"N	80°17'0.09"E	8184	2.25	18414.00
	B	25°37'38.11"N	80°16'59.77"E			
	C	25°37'37.07"N	80°17'0.45"E			
	D	25°37'36.94"N	80°17'1.50"E			
	E	25°37'38.68"N	80°17'4.04"E			
	F	25°37'40.73"N	80°17'3.09"E			
04	A	25°37'40.12"N	80°16'57.99"E	2716	1.50	4074.00
	B	25°37'39.07"N	80°16'56.78"E			
	C	25°37'40.59"N	80°16'55.85"E			
	D	25°37'41.76"N	80°16'58.00"E			
कुल योग :-						25865.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 23.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 20,326 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 3373 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्धदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से [25865.50 - (20326 + 3373)] = 2166.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

-2-



J. Nishu

(2)


आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2166.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 3,24,975/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 16,24,875/- कुल रू0 19,49,850/- (रूपये उन्नीस लाख उन्चास हजार आठ सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


निष्ठाधिकारी,
बाँदा।



J. N. N. N.

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 4755 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : फरवरी 7, 2025

नोटिस

मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साहू लोके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक-05.02.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-4728/खनिज-30, बाँदा दिनांक 05.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 03 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'38.07"N	80°17'5.11"E	1575	1.75	2756.25
	B	25°37'39.09"N	80°17'6.54"E			
	C	25°37'40.68"N	80°17'6.22"E			
	D	25°37'40.38"N	80°17'5.45"E			
	E	25°37'39.37"N	80°17'6.10"E			
	F	25°37'38.69"N	80°17'4.72"E			
02	A	25°37'43.11"N	80°17'6.06"E	1393	1.00	1393.00
	B	25°37'43.55"N	80°17'6.09"E			
	C	25°37'43.68"N	80°17'5.68"E			
	D	25°37'42.90"N	80°17'3.87"E			
	E	25°37'42.14"N	80°17'4.35"E			
03	A	25°37'49.50"N	80°17'9.98"E	3607	0.75	2705.25
	B	25°37'49.08"N	80°17'10.11"E			
	C	25°37'44.01"N	80°17'3.04"E			
	D	25°37'44.49"N	80°17'2.76"E			
कुल योग :-						6854.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 6854.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है। जांच में यह भी पाया गया कि 02 पिलर मौके पर नहीं थे, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 04.02.2025 को 05 वाहन उक्त खनन पट्टा क्षेत्र के रास्ते पर बिना कोई वैध परिवहन प्रपत्र के उपखनिजों का परिवहन किया जा रहा

-02-



J. N. N. N.

शा जिनका विवरण निम्नवत है

क्र०स०	वाहन संख्या	मात्रा (घन मी० में)	उपखनिज का नाम	प्राप्ति पत्री क्रमिका
1	UP41AT-5507	25	बालू/गोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
2	UP35T-4716	18	बालू/गोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
3	UP78DT-7608	25	बालू/गोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
4	UP41AT-4872	25	बालू/गोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
5	UP41AT-5840	14	बालू/गोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र

उपरोक्त वाहनों को जिलाधिकारी महोदया के अग्रिम आदेशों तक थाना कोतवाली देहात की अभिरक्षा में दिया गया, उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 8854.50 घन मी० बालू/गोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 10,28,175/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 51,40,875/- कुल ₹० 61,69,050/- तथा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र के रास्ते पर दिनांक 04.02.2025 को बिना कोई वैध परिवहन प्रपत्र के उपखनिज का परिवहन कर रहे 05 वाहनों के सम्बन्ध में ₹० 25,000/- प्रति वाहन के अनुसार कुल ₹० 1,25,000/- तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर मौके पर ना पाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियमावली के नियम-60(3) के अर्न्तगत जांच के दिनांक 05.02.2025 से प्रतिदिन ₹० 25,000/- की दर से शास्ति शुल्क देय परिलक्षित है। साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nishka
06/02/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।



J. Nishka

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5202/खनिज-30, बाँदा

दिनांक मार्च 18, 2025

नोटिस

मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाक, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक-10.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-5090/खनिज-30, बाँदा दिनांक 10.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'52.48"N	80°17'16.10"E	40,617	1.00	40,617.00
	B	25°37'49.80"N	80°17'17.02"E			
	C	25°37'46.53"N	80°17'10.08"E			
	D	25°37'42.17"N	80°17'4.26"E			
	E	25°37'44.87"N	80°17'2.45"E			
	F	25°37'49.22"N	80°17'8.48"E			
कुल योग :-						40,617.00

उक्त अवैध खनन की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जांच आख्या दिनांक 05.02.2025, जिसमें 6854 घन मी0 का अवैध खनन पाया गया था, उक्त अवैध खनन जिसमें पिट संख्या-02 में 1393 घन मी0 तथा पिट संख्या-03 में 2705.25 घन मी0 कुल 4098.25 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में उक्त दोनो पिट को मिलाकर (पिट सं0-02 व 03) कुल 40,617 घन मी0 मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः दिनांक 05.02.2025 में पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये अवैध खनन को घटाने पर (40617 - 4098.25) 36518.75 घन मी0 अवशेष बचता है।

अतः वर्तमान समय में 01 मी0 गहराई में 36518.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है। जांच के समय मौके पर कोई भी पिलर नहीं पाये गये, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।"



J. Nulme

(२)

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 36518.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवाहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 54,77,812.50 व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 2,73,89,062.50 कुल ₹0 3,28,66,875/- तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर मौके पर ना पाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियामावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियामावली के नियम-60(3) के अन्तर्गत जांच के दिनांक 10.03.2025 से प्रतिदिन ₹0 25,000/- की दर से शक्ति शुल्क देय परिलक्षित है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त क सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
18/03/2025
जिलाधिकारी,
बोंदा।
JES

5202

RUC32328419IN IVR:8285332328419
RL MFCM COUNTER BANDA RMS (21000)
Counter No:2,19/03/2025,14:30
To:MAILER BOXITE ,BILASPUR
PIN:495001, Bilaspur BilaspurCCH HO
From:JILADHIKARI,KHANNIJI BANDA
Wt:30gms,REG=17.0
Amt:31.86,Tax:4.86,Amt.Paid:32.00(Cash)
Track on www.indiapost.gov.in
Dial 18002666668 > Wear mask -Stay safe



J. Nulke

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 661 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मई 06, 2025

नोटिस

मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 पलोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल),
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप क्षेत्रीय लेखपाल पथरी, राजस्व निरीक्षक बाँदा, खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-619/खनिज-30, बाँदा दिनांक 05.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जिंथोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जिंथोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'52.02"N	80°17'30.91"E	84313	1.00	84313.00
	B	25°37'49.28"N	80°17'19.61"E			
	C	25°37'48.57"N	80°17'16.72"E			
	D	25°37'47.72"N	80°17'12.63"E			
	E	25°37'45.11"N	80°17'7.40"E			
	F	25°37'44.13"N	80°17'5.97"E			
	G	25°37'43.28"N	80°17'6.78"E			
	H	25°37'42.69"N	80°17'6.52"E			
	I	25°37'42.98"N	80°17'5.60"E			
	J	25°37'42.17"N	80°17'4.26"E			
	K	25°37'44.87"N	80°17'2.45"E			
	L	25°37'49.22"N	80°17'8.48"E			
	M	25°37'53.01"N	80°17'16.24"E			
	N	25°37'54.14"N	80°17'30.17"E			
कुल योग :-						84313.00

उक्त अवैध खनन में यह भी पाया गया कि जांच आख्या दिनांक 05.02.2025, जिसमें 6854 घन मी0 का अवैध खनन पाया गया था, उक्त अवैध खनन जिसमें पिट संख्या-02 में 1393 घन मी0 तथा पिट संख्या-03 में 2705.25 घन मी0 कुल 4098.25 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था तथा जांच आख्या दिनांक

2-8-25

J. Nishu

(2)

10.03.2025 द्वारा कुल 36518.75 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में पूर्व के अवैध खनन के पुराने पिट (जांच आख्या दिनांक 05.02.2025 के पिट सं0-02 व 03 एवं जांच आख्या दिनांक 10.03.2025 के पिट) एवं नये अवैध खनन के पिट को मिलाकर कुल 84313.00 घन मी0 मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः पूर्व में दिनांक 05.02.2025 व 10.03.2025 को पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये नये अवैध खनन से घटाने पर $[84313 - (4098.25 + 36518.75)]$ 43696.00 घन मी0 अवशेष बचता है।


अतः वर्तमान समय में 1.00 मी0 गहराई में 43696 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 43696 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹ 85,54,400/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹ 3,27,72,000/- कुल ₹ 3,93,26,400/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
06/05/2025
जिलाधिकारी,
बोदा।



J. Nulke

457

Annexure No-R7

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3378/खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : अक्टूबर 16, 2024

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, कं0 ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-05) कुल रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी रादर, बाँदा द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 16.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 06 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त दोनो पिट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.69"N	80°18'2.74"E	203	2.50	507.50
	B	25°34'5.40"N	80°18'2.89"E			
	C	25°34'5.41"N	80°18'3.41"E			
	D	25°34'5.74"N	80°18'3.58"E			
	E	25°34'5.77"N	80°18'3.01"E			
02	A	25°34'5.55"N	80°18'1.79"E	247	1.75	432.25
	B	25°34'5.71"N	80°18'2.02"E			
	C	25°34'5.99"N	80°18'2.08"E			
	D	25°34'6.30"N	80°18'2.00"E			
	E	25°34'6.16"N	80°18'1.58"E			
	F	25°34'5.90"N	80°18'1.57"E			
	G	25°34'5.68"N	80°18'1.62"E			
03	A	25°34'4.03"N	80°18'2.85"E	159	2.75	437.25
	B	25°34'4.31"N	80°18'3.05"E			
	C	25°34'4.65"N	80°18'3.07"E			
	D	25°34'4.62"N	80°18'2.69"E			
	E	25°34'4.31"N	80°18'2.70"E			
	F	25°34'4.14"N	80°18'2.69"E			
04	A	25°34'3.21"N	80°18'3.62"E	421	2.75	1157.75
	B	25°34'3.16"N	80°18'3.17"E			
	C	25°34'2.94"N	80°18'2.86"E			
	D	25°34'2.68"N	80°18'3.12"E			
	E	25°34'2.52"N	80°18'3.46"E			
	F	25°34'2.63"N	80°18'3.67"E			
	G	25°34'2.58"N	80°18'3.95"E			
	H	25°34'2.91"N	80°18'3.87"E			

-2-



J. Anand

(2)

05	A	25°34'7.90"N	80°18'3.29"E	736	2.00	1472.00
	B	25°34'7.76"N	80°18'3.16"E			
	C	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
06	A	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E	341	5.00	1705.00
	B	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	C	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
	D	25°34'9.30"N	80°17'58.67"E			
कुल योग :-						5711.75

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 4009 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (5712 - 4009) = 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

5. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेटस निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'9.64"N	80°17'58.73"E	410	5.00	2050.00
	B	25°34'9.41"N	80°17'59.61"E			
	C	25°34'9.24"N	80°18'0.55"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	E	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
02	A	25°34'9.13"N	80°18'0.46"E	719	3.00	2157.00
	B	25°34'8.71"N	80°18'1.48"E			
	C	25°34'8.00"N	80°18'3.89"E			
	D	25°34'7.78"N	80°18'3.69"E			
	E	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
कुल योग :-						4207.00

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

6. जांच में यह भी पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा उपखनिज बालू/मोरम का खनन/परिवहन कार्य के कारण सम्बन्धित खनन क्षेत्र में पानी आ जाने के पश्चात भी पट्टाधारक द्वारा पानी में खनन कार्य करते हुये पाया गया एवं निर्धारित गहराई से अधिक गहराई में खनन करते हुये पाया गया। पट्टाधारक का उक्त कृत्य पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

7. जांच में यह भी पाया गया कि खनन क्षेत्र में पहुंच मार्ग से जाते समय 02 वाहन क्रमशः यू0पी0 78जे0टी0-8402 व यू0पी0 91टी0-4621, जिसपर उपखनिज बालू/मोरम लदा था। उक्त वाहनों की जांच के समय उपखनिज के परिवहन हेतु परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 नहीं पाया गया। उक्त वाहनों को एम0चेक ऐप के माध्यम से ई0चालान करते हुये मटौघ थाना की सुपुर्दगी में अग्रिम आदेशों तक के लिये दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र से बिना परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 के वाहनों को उपखनिज बालू/मोरम उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनकी प्रथम दृष्टया सलिप्तता परिलक्षित होती है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिसे हई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।



J. Nulme

(3)

आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 2,55,450/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 12,77,250/- कुल रू० 15,32,700/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 8,31,050/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 31,55,250/- कुल रू० 37,86,300/- एवं अनुमोदित खनन योजना एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की धनराशि रू० 50,000/- तथा 02 ओवरलोड वाहनो के सम्बन्ध में नियमावली-2021 के नियम-60(6) के अनुसार शास्ति की धनराशि रू० 50,000/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से रू० 15,32,700/- व 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से रू० 37,86,300/- व अनुमोदित खनन योजना एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन की धनराशि रू० 50,000/- तथा 02 ओवरलोड वाहनो की शास्ति की धनराशि रू० 50,000/- कुल धनराशि (15,32,700 + 37,86,300 + 50,000 + 50,000) रू० 54,19,000/- (रू० चौवन लाख उन्नीस हजार मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।



J. N. N. N.

पत्रांक 3486 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

डैस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के0 ब्लॉक, किदवाई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम मरौलीखान्दर क गाटा सं-0-333/7 का भाग (खण्ड सं-05) कुल रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/गौरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 14.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमितताये पायी गयी :-

6. पट्टाधारक डैस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML, फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 06 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त 06 पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हेण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E	341	5.00	1705.00
	B	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	C	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
	D	25°34'9.30"N	80°17'58.67"E			
02	A	25°34'7.90"N	80°18'3.29"E	736	2.00	1472.00
	B	25°34'7.76"N	80°18'3.16"E			
	C	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
03	A	25°33'58.43"N	80°18'12.93"E	3770	1.00	3770.00
	B	25°33'58.99"N	80°18'11.57"E			
	C	25°33'55.89"N	80°18'10.53"E			
	D	25°33'55.65"N	80°18'11.85"E			
04	A	25°33'56.83"N	80°18'7.68"E	5731	1.50	8596.50
	B	25°34'0.16"N	80°18'8.39"E			
	C	25°33'59.69"N	80°18'10.29"E			
	D	25°33'56.32"N	80°18'9.54"E			
05	A	25°34'0.04"N	80°18'7.54"E	4601	1.25	5751.25
	B	25°33'57.56"N	80°18'7.06"E			
	C	25°33'58.00"N	80°18'4.79"E			
	D	25°34'0.35"N	80°18'5.61"E			
06	A	25°34'2.30"N	80°18'4.32"E	4314	1.00	4314.00
	B	25°34'1.65"N	80°18'8.10"E			
	C	25°34'0.41"N	80°18'7.54"E			
	D	25°34'1.00"N	80°18'3.92"E			
कुल योग :-					25608.75	

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 14.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 20.914 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है

J. Nulane

9
2-8-25

(2)

तथा पूर्व में जांच दिनांक 16.10.2024 को 1703 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $\{ 25608.75 - (20914 + 1703) \} = 2991.75$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2991.75 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 4,48,762.50/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 22,43,812.50/- कुल ₹0 26,92,575/- (रुपये छब्बीस लाख बानवे हजार पांच सौ पचहत्तर मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जि. नुबसे,
बॉदा।



J. Nubse

पत्रांक 1117 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक 01-1-2025

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
 पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
 निवासी-128/189, के० ब्लॉक, किदवई नगर,
 जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा स०-333/7 का भाग (खण्ड स०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी बाँदा, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनिर्णयितताएँ पायी गयी :-

3. जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्ढे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त 05 पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'9.42"N	80°17'58.70"E	8710	1.00	8710.00
	B	25°34'7.76"N	80°17'58.30"E			
	C	25°34'7.57"N	80°18'4.35"E			
	D	25°34'5.91"N	80°18'3.95"E			
02	A	25°34'2.33"N	80°18'7.53"E	9550	1.00	9550.00
	B	25°34'3.78"N	80°18'8.76"E			
	C	25°34'0.54"N	80°18'14.29"E			
	D	25°33'59.37"N	80°18'12.98"E			
03	A	25°33'59.80"N	80°18'10.22"E	15083	1.00	15083.00
	B	25°33'56.59"N	80°18'7.85"E			
	C	25°33'54.45"N	80°18'11.81"E			
	D	25°33'58.10"N	80°18'13.93"E			
04	A	25°33'56.73"N	80°18'7.45"E	19111	0.45	8599.95
	B	25°33'58.67"N	80°18'2.51"E			
	C	25°34'2.42"N	80°18'5.02"E			
	D	25°34'0.17"N	80°18'9.63"E			
05	A	25°33'57.22"N	80°18'2.92"E	3816	5.00	19080.00
	B	25°33'58.75"N	80°17'57.72"E			
	C	25°33'58.31"N	80°17'57.05"E			
	D	25°33'56.38"N	80°18'2.25"E			
कुल योग :-						61022.95

9
 2-8-25

J. N. N. N.

(2)

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 26.12.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 51,957 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 16.10.2024 को 1703 घनमीटर व जांच दिनांक 14.11.2024 को 2991.75 घनमीटर कुल 4694.75 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $\{ 61022.95 - (51957 + 4694.75) \} = 4371.20$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 6,55,680/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 32,78,400/- कुल रू0 39,34,080/- (रूपये उन्तालिस लाख चौतीस हजार अस्सी मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिल्लाधिकारी,
बादा।
29



J. N. Tripathi

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 4852 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : फरवरी 17, 2025

नोटिस

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लॉक, किदवाई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 11.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.01"N	80°17'57.17"E	575	02	1150
	B	25°34'6.15"N	80°17'57.43"E			
	C	25°34'6.65"N	80°17'58.05"E			
	D	25°34'5.09"N	80°17'57.69"E			
कुल योग :-						1150

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1150 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1150 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 1,72,500/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 8,62,500/- कुल ₹० 10,35,000/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nishu
जिलाधिकारी,
बाँदा।
१५



J. Nishu

465

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 183 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अप्रैल 08, 2025

नोटिस

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, कै0 ब्लॉक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरीलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-05) कुल रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-126/खनिज-30, बाँदा दिनांक 04.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है एवं दोनो पिट को पट्टाधारक द्वारा वेस्ट पदार्थ/ओवरवर्डन (बालू/मोरम छानने के उपरान्त बचा पदार्थ) से पाटा/भरा जा रहा था, उक्त पिट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.11"N	80°17'57.67"E	6435	1.50	9652.50
	B	25°34'5.45"N	80°17'55.94"E			
	C	25°34'9.63"N	80°17'56.99"E			
	D	25°34'9.36"N	80°17'58.64"E			
02	A	25°34'3.55"N	80°17'57.32"E	8315	1.75	14551.25
	B	25°34'3.85"N	80°17'55.11"E			
	C	25°33'59.73"N	80°17'54.36"E			
	D	25°33'58.74"N	80°17'56.24"E			
कुल योग :-						24203.75

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 36,30,562.50 व खनिज मूल्य के रूप में रू0 1,81,52,812.50 कुल रू0 2,17,83,375.00 राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
08/04/2025
जिलाधिकारी
बाँदा।

J. Nulke



कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1588/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 02 जून 2025

नोटिस

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-1554/खनिज-30, बाँदा दिनांक 30.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 3 से 4 मी० ओवरबडन (मिट्टी/वेस्ट पदार्थ) को हटाते हुये 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	बालू/मोरम की औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'4.28"N	80°17'55.08"E	1,031	7.00	7,217.00
	B	25°34'3.04"N	80°17'54.79"E			
	C	25°34'3.38"N	80°17'53.49"E			
	D	25°34'4.23"N	80°17'54.24"E			
कुल योग :-						7,217.00

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 7,217.00 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है तथा निर्धारित गहराई 03 मी० से अधिक खनन करने व अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72, 60(2) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 7217 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 10,82,550/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 54,12,750/- कुल ₹० 64,95,300/- तथा निर्धारित गहराई 03 मी० से अधिक खनन करने व अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की धनराशि ₹० 50,000/- कुल धनराशि (64,95,300 + 50,000) ₹० 65,45,300/- (₹० पैसठ लाख पैतालिस हजार तीन सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. P. Mishra
02.06.2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।

J. P. Mishra



कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3948/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

नोटिस

मे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि०
निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म०न०-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं०-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार पैलानी, खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 22.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- पट्टाधारक मे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि० निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 03 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटों का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.76"N	80°23'11.28"E	2810	2.00	5620
	B	25°44'15.31"N	80°23'11.23"E			
	C	25°44'14.94"N	80°23'13.37"E			
	D	25°44'16.48"N	80°23'13.49"E			
02	A	25°44'16.38"N	80°23'13.91"E	3521	1.50	5281.50
	B	25°44'14.95"N	80°23'13.79"E			
	C	25°44'14.59"N	80°23'16.34"E			
	D	25°44'16.27"N	80°23'16.52"E			
03	A	25°44'16.35"N	80°23'17.37"E	5329	1.00	5329
	B	25°44'16.37"N	80°23'20.59"E			
	C	25°44'15.67"N	80°23'20.57"E			
	D	25°44'15.84"N	80°23'22.34"E			
	E	25°44'14.82"N	80°23'21.15"E			
	F	25°44'14.65"N	80°23'17.59"E			
कुल योग :-						16230.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 22.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 14,579 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एम०-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (16230.50 - 14579) = 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

J. Nulme

5. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट्ट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.69"N	80°23'20.62"E	909	1.50	1363.50
	B	25°44'16.68"N	80°23'21.68"E			
	C	25°44'15.82"N	80°23'21.79"E			
	D	25°44'15.67"N	80°23'20.57"E			
				कुल योग :-		1363.50

पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

6. इस प्रकार उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 1851.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।


आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹ 2,47,725/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹ 12,38,625/- कुल ₹ 14,86,350/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹ 2,04,525/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹ 10,22,625/- कुल ₹ 12,27,150/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹ 14,86,350/- तथा 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹ 12,27,150/- कुल घनराशि (14,86,350+ 12,27,150) ₹ 27,13,500/- (₹ सत्ताईस लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।


2-6-25

J. N. N. N.

कार्यालय जिलाधिकारी, बौदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 4569 / खनिज-30, बौदा

दिनांक : जनवरी 16, 2025

नोटिस

मे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि०
निवासी-94 एल्लिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म०न०-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद बौदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा स०-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बौदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 08.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि० निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्टे का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'15.04"N	80°23'27.00"E	2891	1.25	3613.75
	B	25°44'14.88"N	80°23'25.38"E			
	C	25°44'15.46"N	80°23'25.28"E			
	D	25°44'15.28"N	80°23'23.97"E			
	E	25°44'16.03"N	80°23'24.00"E			
	F	25°44'16.50"N	80°23'26.93"E			
02	A	25°44'18.04"N	80°23'28.93"E	1149	1.75	2010.75
	B	25°44'16.29"N	80°23'28.88"E			
	C	25°44'16.24"N	80°23'28.38"E			
	D	25°44'17.28"N	80°23'28.36"E			
	E	25°44'17.17"N	80°23'27.73"E			
	F	25°44'17.85"N	80°23'27.78"E			
कुल योग :-						5624.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 5624.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

4. जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्ढे में पानी आ गया है, जिसके क्रम में मौके पर उपस्थित पट्टाधारक के प्रतिनिधि को सख्ता निर्देश दिये गये कि खनन संक्रियायें के कारण जिन गड्ढे में पानी आ गया है, उन गड्ढे से जब तक पानी उतर न जाये तब-तक उन गड्ढे में खनन संक्रियायें न की जाय।"



J. Nishu

(2)

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 5624.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 8,43,675/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 42,18,375/- कुल रू० 50,62,050/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

बिनादिहारी,
बन्दा।
95

RUC02616690IN D/P:5095302616690
R: NPECN COUNTER BANDA SRS 4210001
Counter No:2,20/01/2025,19x01
To:PRADYANVIJAY BUSINESS,VARANASI
PIN:221001, Varanasi, IN
From:OFFICE OF IN, BANDA
4133066,REC-177
Am:031,Sec:16x19,86,Am:17,03,2025,06:16:00
Track on: www.indiapost.gov.in
1300260606 Near Resko

RU
Col
—
Am
JP
—
Fr
Gr
Tr
De



J. Nulme

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5238/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 21, 2025

नोटिस

मे0 प्रजाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0
निवासी-94 एलडिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म0नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मे0 प्रजाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियाकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियाकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.12"N	80°23'36.34"E	16842	0.75	12631.50
	B	25°44'17.95"N	80°23'37.01"E			
	C	25°44'18.20"N	80°23'28.42"E			
	D	25°44'18.12"N	80°23'27.61"E			
	E	25°44'17.15"N	80°23'27.63"E			
	F	25°44'17.28"N	80°23'28.33"E			
	G	25°44'15.49"N	80°23'28.44"E			
02	A	25°44'16.99"N	80°23'26.99"E	9324	1.25	11655.00
	B	25°44'15.01"N	80°23'27.03"E			
	C	25°44'14.83"N	80°23'25.34"E			
	D	25°44'15.42"N	80°23'25.23"E			
	E	25°44'15.22"N	80°23'23.87"E			
	F	25°44'16.00"N	80°23'23.88"E			
	G	25°44'15.57"N	80°23'20.58"E			
	H	25°44'16.77"N	80°23'20.61"E			
	I	25°44'16.98"N	80°23'23.94"E			
	J	25°44'17.86"N	80°23'24.41"E			
	K	25°44'18.04"N	80°23'24.93"E			
L	25°44'17.23"N	80°23'25.43"E				
कुल योग :-						24286.50

उक्त अवैध खनन की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जांच आख्या दिनांक 22.11.2024, जिसमें 1363.50 घन मी0 का अवैध खनन तथा जांच आख्या दिनांक 08.01.2025, जिसमें 5624.50 घन मी0 अवैध खनन कुल 6988 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में उक्त दोनो अवैध खनन पिट्टस को मिलाकर कुल 24286.50 घन मी0 मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः दिनांक 22.11.2024 व 08.01.2025 में पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये अवैध खनन को घटाने पर (24286.50 - 6988) 17298.50 घन मी0 अवशेष बचता है।



J. Nulue

473

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3431 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अक्टूबर / 19, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 18.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमितताएँ पायी गयी :-

3. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त चारो पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
4. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट्ट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'39.80"N	80°17'38.70"E	381	1.50	571.50
	B	25°33'39.91"N	80°17'39.25"E			
	C	25°33'40.40"N	80°17'39.27"E			
	D	25°33'40.57"N	80°17'38.82"E			
	E	25°33'40.30"N	80°17'38.47"E			
02	A	25°33'38.19"N	80°17'38.78"E	338	1.75	591.50
	B	25°33'38.12"N	80°17'39.21"E			
	C	25°33'38.53"N	80°17'39.48"E			
	D	25°33'38.86"N	80°17'39.20"E			
	E	25°33'38.75"N	80°17'38.72"E			
03	A	25°33'37.04"N	80°17'38.52"E	1417	2.00	2834.00
	B	25°33'36.32"N	80°17'38.52"E			
	C	25°33'35.54"N	80°17'38.39"E			
	D	25°33'35.55"N	80°17'37.56"E			
	E	25°33'36.54"N	80°17'37.28"E			
	F	25°33'37.25"N	80°17'37.91"E			
04	A	25°33'39.33"N	80°17'37.35"E	2051	1.75	3589.00
	B	25°33'38.75"N	80°17'37.58"E			
	C	25°33'38.00"N	80°17'37.48"E			
	D	25°33'37.62"N	80°17'36.98"E			
	E	25°33'37.89"N	80°17'36.29"E			
	F	25°33'39.04"N	80°17'35.98"E			
	G	25°33'39.80"N	80°17'36.65"E			
कुल योग :-						7586.00



J. Nulwa

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 18.10.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 6183 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (7586 - 6183) = 1403 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 1403 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 2,10,450/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 10,52,250/- कुल ₹0 12,62,700/- (रुपये बारह लाख बासठ हजार सात सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिला अधिकारी,
बॉन्दा।



J. Nishu

कार्यालय जिलाधिकारी, बौदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3984 / खनिज-30, बौदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बौदा की तहसील बौदा स्थित ग्राम-मरीलीखादर के गाटा सं-0-333/7 का भाग (खण्ड सं-01) कुल रकबा 172802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बौदा, नायब तहसीलदार बौदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बौदा द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 24.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त चारों पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैंड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	दिन्नु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'39.57"N	80°17'37.08"E	6555	2.50	16387.50
	B	25°33'38.90"N	80°17'39.22"E			
	C	25°33'35.89"N	80°17'39.64"E			
	D	25°33'36.09"N	80°17'37.06"E			
02	A	25°33'35.37"N	80°17'34.97"E	1538	2.50	3845.00
	B	25°33'35.88"N	80°17'34.35"E			
	C	25°33'36.73"N	80°17'34.87"E			
	D	25°33'36.64"N	80°17'36.04"E			
	E	25°33'35.54"N	80°17'36.06"E			
03	A	25°33'37.75"N	80°17'33.75"E	5988	2.50	14970.00
	B	25°33'37.57"N	80°17'34.55"E			
	C	25°33'36.99"N	80°17'36.46"E			
	D	25°33'39.94"N	80°17'36.64"E			
	E	25°33'40.44"N	80°17'34.62"E			
04	A	25°33'38.41"N	80°17'32.61"E	7116	2.00	14232.00
	B	25°33'38.53"N	80°17'33.35"E			
	C	25°33'41.26"N	80°17'34.69"E			
	D	25°33'42.11"N	80°17'32.48"E			
	E	25°33'40.56"N	80°17'30.76"E			
05	A	25°33'38.07"N	80°17'32.16"E	2157	2.50	5392.50
	B	25°33'40.57"N	80°17'29.95"E			
	C	25°33'39.53"N	80°17'28.52"E			
	D	25°33'37.61"N	80°17'29.55"E			
	E	25°33'37.73"N	80°17'31.30"E			
कुल योग :-						54827.00

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 24.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 51092 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एस०-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 1403 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से { 54827 - (51092 + 1403) } = 2332 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। "

J. Nulwa

9
2-8-25

(2)

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 3,49,800/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 17,49,000/- कुल रू0 20,98,800/- (रूपये बीस लाख अठानवे हजार आठ सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बौदा।



J. Nulke

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 44574 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 11 जनवरी, 2024
विसम्बर 04, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं-0-333/7 का भाग (खण्ड सं-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी बाँदा, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमितताये पायी गयी :-

- जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्डे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
- संयुक्त जांच टीम द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की जांच के क्रम में यह देखा गया कि पट्टाधारक के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर एक रास्ता/मार्ग मरौली खण्ड सं-02 की तरफ लगभग 150 मी० लम्बा एवं 7 मी० चौड़ा रास्ता बना हुआ पाया गया एवं लगभग 150 मी० दूर जा कर खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया जाना पाया गया, जिसको दृष्टिगत रखते हुये उक्त बने रास्ते को जे०सी०बी०/पोकलेण्ड मशीन के माध्यम से कटवां/तुड़वा दिया गया है।
- पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटों का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'43.40"N	80°17'30.68"E	18486	1.50	27,729.00
	B	25°33'41.72"N	80°17'32.42"E			
	C	25°33'41.31"N	80°17'39.01"E			
	D	25°33'45.32"N	80°17'38.69"E			
02	A	25°33'41.38"N	80°17'32.65"E	10071	1.75	17,624.00
	B	25°33'39.47"N	80°17'34.15"E			
	C	25°33'37.44"N	80°17'38.34"E			
	D	25°33'40.47"N	80°17'38.63"E			
03	A	25°33'38.86"N	80°17'33.92"E	13470	1.00	13,470.00
	B	25°33'36.80"N	80°17'38.67"E			
	C	25°33'33.90"N	80°17'39.71"E			
	D	25°33'36.59"N	80°17'32.62"E			
04	A	25°33'44.53"N	80°17'27.77"E	26146	1.00	26,146.00
	B	25°33'39.31"N	80°17'33.71"E			
	C	25°33'37.10"N	80°17'31.33"E			
	D	25°33'40.94"N	80°17'24.74"E			
कुल योग :-						84,969



J. N. N. N.

(2)

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 26.12.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 79763 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 1403 घनमीटर व जांच दिनांक 24.11.2024 को 2332 घन मी0 कुल 3735 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से { 84969 - (79763 + 3735) } = 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

7. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'43.70"N	80°17'39.33"E	1453	1.00	1453
	B	25°33'41.81"N	80°17'39.53"E			
	C	25°33'41.85"N	80°17'40.42"E			
	D	25°33'43.94"N	80°17'40.06"E			
02	A	25°33'34.05"N	80°17'45.81"E	550	1.00	550
	B	25°33'33.11"N	80°17'45.94"E			
	C	25°33'33.27"N	80°17'46.54"E			
	D	25°33'34.21"N	80°17'46.54"E			
कुल योग :-						2003

पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

8. इस प्रकार उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 2,20,650/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 11,03,250/- कुल ₹0 13,23,900/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 3,00,450/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 15,02,250/- कुल ₹0 18,02,700/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹0 13,23,900/- तथा 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹0 18,02,700/- कुल घनराशि (13,23,900 + 18,02,700) ₹0 31,26,600/- (₹0 इकत्तीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बौदा।



J. Nulke

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 964 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मई 22, 2025

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-परौलीखादर के गाटा सं-0-333/7 का भाग (खण्ड सं-01) कुल रकबा 172802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-919/खनिज-30, बाँदा दिनांक 20.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

'पट्टाधारक मे० श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'34.42"N	80°17'45.50"E	207	0.50	103.50
	B	25°33'35.57"N	80°17'45.20"E			
	C	25°33'35.69"N	80°17'45.50"E			
	D	25°33'34.72"N	80°17'45.58"E			
02	E	25°33'49.76"N	80°17'43.35"E	372	3.00	1116.00
	F	25°33'50.09"N	80°17'42.93"E			
	G	25°33'50.48"N	80°17'43.24"E			
	H	25°33'49.82"N	80°17'44.15"E			
कुल योग :-						1219.50

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 1219.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1219.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 1,82,925/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 9,14,625/- कुल ₹० 10,97,550/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulwa
22/05/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।

J. Nulwa



कार्यालय जिलाधिकारी, बीदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1583 / खनिज-30, बीदा

दिनांक : 02/07/2025

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेद्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बीदा की तहसील बीदा स्थित ग्राम-गरीलीखादर के गाटा सं-333/7 का भाग (खण्ड सं-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-1555/खनिज-30, बीदा दिनांक 30.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयीं :-

3. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हेडड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'46.10"N	80°17'40.24"E	1203	1.50	1,804.50
	B	25°33'45.63"N	80°17'39.12"E			
	C	25°33'46.87"N	80°17'38.99"E			
	D	25°33'47.21"N	80°17'40.11"E			
कुल योग :-						1,804.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1,804.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन पट्टा क्षेत्र की जांच हेतु, खनन पट्टा के पहुंच मार्ग पर 05 वाहन अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग करते हुये पाये गये। उक्त वाहनों को संयुक्त जांच टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशो तक थानाध्यक्ष मटौंध की अभिरक्षा में दिया गया। उक्त कृत्य कार्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1804.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹ 2,70,675/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹ 13,53,375/- कुल ₹ 16,24,050/- तथा ओवरलोडिंग के उपखनिज का परिवहन कर रहे 05 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 25,000/- प्रति वाहन के अनुसार कुल ₹ 1,25,000/- कुल धनराशि (16,24,050 + 1,25,000) 17,49,050/- (रु० सतरह लाख उनचास हजार पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulme
02/07/2025
जिलाधिकारी,
बीदा

J. Nulme

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3947/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकला के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार पैलानी, खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 21.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त दोनों पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'51.61"N	80°20'54.44"E	1105	1.50	1657.50
	B	25°40'51.66"N	80°20'55.73"E			
	C	25°40'52.75"N	80°20'54.96"E			
	D	25°40'52.52"N	80°20'53.89"E			
02	A	25°40'56.63"N	80°21'2.33"E	728	2.00	1456.00
	B	25°40'57.17"N	80°21'2.24"E			
	C	25°40'57.63"N	80°21'2.94"E			
	D	25°40'56.29"N	80°21'3.42"E			
कुल योग :-						3113.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन अनुज्ञा-पत्र प्रारम्भ से दिनांक 21.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 2012 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एम०-11 जनित किया गया है। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (3113.50 - 2012) = 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र क्षेत्र में कुल 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 1,65,225/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 8,26,125/- कुल ₹० 9,91,350/- (रूपये नौ लाख इक्यानवे लाख तीन सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बाँदा।



J. Nuluv

पत्रांक : 4382 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : दिशम्बर 30, 2024

Suddhatam Enterprises

प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकला के गाटा स०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी न्यायिक बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमितताये पायी गयी :-

3. संयुक्त जांच टीम द्वारा जब स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में पहुंचने के क्रम में, यह देखा गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में पहुंच हेतु एक नया पहुंच मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जो पहले बने पहुंच मार्ग की दूसरी तरफ है। नया पहुंच मार्ग बालू/मोरम के ऊपर से बनायी जा रही है, जिसमें लगभग 200 मी० पहुंच मार्ग बालू/मोरम में बनी हुयी पायी गयी। उक्त क अतिरिक्त यह अवगत कराना है कि नया पहुंच मार्ग से 01 पिट में बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। मौके पर उपस्थित अनुज्ञाधारक के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पहुंच मार्ग किसी भी प्रकार से बालू/मोरम से होते हुये न जाय एवं उक्त बालू/मोरम में बने 200 मी० को पुराई करा दी जाय।
4. संयुक्त जांच टीम द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जांच के क्रम में यह देखा गया कि अनुज्ञाधारक के स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बीच से नदी की जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके क्रम में खनन अनुज्ञा क्षेत्र के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिये अनुज्ञाधारक द्वारा नदी के तल में बाल्टर डालकर एक रास्ते का निर्माण किया जाना पाया गया, जिससे नदी की जलधारा अस्थायी रूप से बाधित हुई है। जिसको दृष्टिगत रखते हुये उक्त बने रास्ते को जे०सी०बी०/पोकलैण्ड मशीन के माध्यम से कटवां/तुडवा दिया गया है।
5. जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्ढे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
6. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट (नया पहुंच मार्ग के समीप) का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटों का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
7. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'55.88"N	80°21'1.76"E	4678	2.00	9356.00
	B	25°40'58.57"N	80°21'1.14"E			
	C	25°40'59.07"N	80°21'2.42"E			
	D	25°40'55.42"N	80°21'3.88"E			
02	A	25°40'51.44"N	80°20'54.30"E	4895	1.20	5874.00
	B	25°40'51.18"N	80°20'55.90"E			
	C	25°40'53.78"N	80°20'55.65"E			
	D	25°40'54.31"N	80°20'53.78"E			
	E	25°40'53.47"N	80°20'53.18"E			
कुल योग :-						15,230

J. N. Mishra

9
2-2-25

अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु किमागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध गनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 21.11.2024 को 1101.50 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $\{ 15,230 - (10,509 + 1101.50) \} = 3619.50$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

8. स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है -

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'38.06"N	80°20'56.14"E	731	01	731
	B	25°40'39.04"N	80°20'55.64"E			
	C	25°40'38.87"N	80°20'54.83"E			
	D	25°40'38.00"N	80°20'55.29"E			
कुल योग :-						731

- अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।
9. इस प्रकार उपरोक्तानुसार अनुज्ञाधारक द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 3,619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कुल 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 5,42,925/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 27,14,625/- कुल ₹0 32,57,550/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 1,09,650/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 5,48,250/- कुल ₹0 6,57,900/- एवं अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की घनराशि ₹0 50,000/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹0 32,57,550/- तथा 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹0 6,57,900/- एवं अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन की शास्ति की घनराशि ₹0 50,000/- कुल घनराशि $(32,57,550 + 6,57,900 + 50,000)$ ₹0 39,65,450/- (₹0 उन्तालिस लाख पैसठ हजार चार सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है। उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा नदी की जलधारा को अस्थाई रूप से अवरुद्ध किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त खनन अनुज्ञा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

अधिकारी,
बाँदा।

वे/

J. Nulke

9
2-8-25

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5246 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 21, 2025

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी रिश्त ग्राम-खपटिहाकला के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 18.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हेण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'39.94"N	80°21'0.07"E	4156	0.50	2078.00
	B	25°40'40.99"N	80°21'1.38"E			
	C	25°40'42.00"N	80°21'2.46"E			
	D	25°40'43.21"N	80°21'1.03"E			
	E	25°40'42.06"N	80°21'0.20"E			
	F	25°40'41.21"N	80°20'59.19"E			
कुल योग :-						2078.00

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2078.00 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2078 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹ 3,11,700/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹ 15,58,500/- कुल ₹ 18,70,200/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulme
21/03/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा। o/c
Kumar



J. Nulme

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 28 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 07, 2025

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्रो श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम खगटिहाकला के गाटा सं- 82 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नागव तहसीलदा जसपुरा व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-5377/खनिज-30, बाँदा दिनांक 29.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'41.94"N	80°21'5.08"E	3834	0.75	2875.50
	B	25°40'40.86"N	80°21'3.44"E			
	C	25°40'39.90"N	80°21'6.04"E			
	D	25°40'38.71"N	80°21'4.45"E			
कुल योग :-						2875.50

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2875.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2875.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 4,31,325/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 21,56,625/- कुल रू0 25,87,950/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्ता का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
07/04/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।



J. Nulke



CR 877611

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



IDENTIFIED

2025
 Abhay Tripathi
 Advocate/Notary
 Banda (U.P.)

J. Nulme